न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिलारीवा

निगरानी 4207-III-14 म०प्र०

निगरानी प्रकरण कृमांक /2014

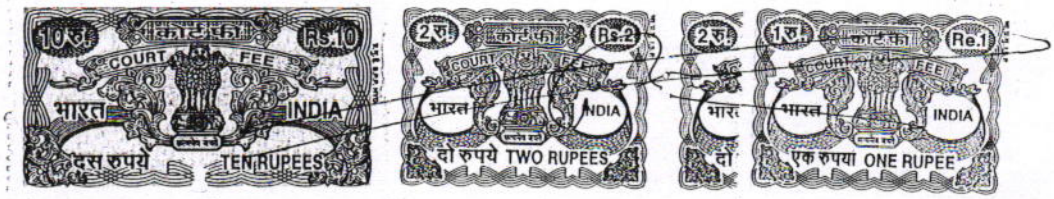

831
01-12-14

1- श्री भीमसेन पटेल तनय नारायण पटेल

2- श्री हरिवेन्द्र सिंह पटेल |

3- श्री दिगनलाल सिंह पटेल | तनय श्री भीमसेन पटेल सभी

4- श्री हेरम्भ सिंह पटेल | निवासीगण ग्राम दुबगवा कुर्मियान,

तहसील मऊगंव, जिलारीवा म०प्र० ------- आवेदक/ निगरानीकर्तागण

बनाम

रामम्लिन पटेल तनय नारायण पटेल साकिन दुबगवा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० ---------- ------ अनावेदक

श्री राजभान सिंह... द्वारा आज दिनांक 01-12-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मऊगंज, जिलारीवा दिनांक 24-4-13 बावत प्रकरण क्र० 53/अ-27/2011-12

क्रमांक 3886
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ...... को प्रेषित
6-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयमेंअना० द्वारा जान बूझ कर व दुर्भावनावस जब आवेदक उपस्थित हुआ था, व प्रकरणामें विरोध किया थातो प्रकरण अदम पैरवीमें खारिज करा लिया बाद में आवेदक की गैरजानकारी मे चोरी छिपे पुनस्थापिन

-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–4207/दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश भीमसेन/राममिलन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण तहसीलदार मउगंज के प्र.क. –53/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक–24.4.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनर्स्थापित करने संबंधी अनावेदक के आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनर्स्थापित करने के आदेश दिए गये है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की में कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है । अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो । 1.12.15 सदस्य	1